भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2271

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य अवसंरचना

†2271. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, जनस्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, नर्सों और चिकित्सा कर्मचारियों की कमी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में गरीब और कमजोर आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक दवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है।

फरवरी 2018 में, भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि दिसंबर 2022 तक पूरे देश में 150,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर(एएएम) की स्थापना की जाएगी जिसे पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य आयुष्मान केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के नाम से जाना जाता था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा एएएम पोर्टल पर

अद्यतन किए गए आकडे के अनुसार,ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को परिवर्तित कर कुल 1,77,906 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित कर दिए गए हैं ताकि इनके द्वारा सेवाओं के 12 पूर्ण पैकेज के साथ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान की जा सके, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक , उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक और निःशुल्क होने के साथ-साथ समुदाय के करीब भी है।

देश में एनएचएम के अंतर्गत भवन अवसंरचना विकास के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के लिए स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ में)

वित्त वर्ष	स्वीकृत धनराशि
2023-24	4688.49
2024-25	4222.23
2025-26	4249.15

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए निम्नलिखित धनराशि आवंटित की है:

• **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों (सीएस)के साथ यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसका परिव्यय योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रुपये का है । पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत किए गए उपाय, प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित हैं, ताकि स्वास्थ्य प्रणालियों को वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार किया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24,2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10609 भवन रहित एएएम, 5456 शहरी एएएम, 2151 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), जिला स्तर पर 744 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 621 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 33081.82 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं।

• जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पाँच वर्ष की अवधि में स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि की सिफारिश की है। ये अनुदान भवनविहीन उप

-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), ग्रामीण पीएचसी और उप-केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) योजना में परिवर्तित करने, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए सहायता प्रदान करने , ब्लॉक स्तरीय जन स्वास्थ्य इकाइयां, शहरी – एएएम जैसी विनिर्दिष्ट घटकों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए हैं।

• केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना', जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

(ख): वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र द्वारा जारी किए गए राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं .	वित्त वर्ष	केंद्र द्वारा जारी धनराशि
1.	2022-23	31,278.84
2.	2023-24	33,042.62
3.	2024-25	36,529.14

(ग): देश के सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा कर्मचारियों का विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(घ): इसके अलावा, सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए,राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा उल्लिखित आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एमएमयू की तैनाती सामान्य जनसंख्या मानदंड पर आधारित है जिसमें प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 एमएमयू है। साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-संजीवनी , एक टेलीमेडिसिन एप्लिकेशन विकसित की है, जो डॉक्टर से डॉक्टर (एचडब्ल्यूसी मॉड्यूल) और मरीज से डॉक्टर परामर्श सेवाएं (ओपीडी मॉड्यूल) प्रदान करती है। यह एप्लिकेशन हब और स्पोक मॉडल पर काम करता है। हब स्तर पर, एक विशेषज्ञ डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) को सेवाएं प्रदान करता है।

भारत सरकार निःशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) के अंतर्गत दवाओं की खरीद और खरीद की प्रणालियों को सुदृढ़ करने, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, नुस्खे का ऑडिट, शिकायत निवारण , मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार और आवश्यक दवाओं की खरीद और उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए आईटी सक्षम प्लेटफॉर्म डीवीडीएमएस (ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) की स्थापना में सहयोग करती है। स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर सुविधा केन्द्रवार आवश्यक दवा सूची (ईएमएल) उपलब्ध कराने की सिफारिश की है जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और तपेदिक, एचआईवी/एड्स जैसी प्रमुख बीमारियों, मलेरिया, डेंगू और कालाजार, कुष्ठ रोग जैसी वेक्टर जनित बीमारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की मुफ्त सेवाओं का प्रावधान शामिल हैं। ईएमएल में सुविधा केन्द्रवार दवाओं की संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 106 दवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 172, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 300, उप-जिला अस्पताल स्तर पर 318 और जिला अस्पताल स्तर पर 381 दवाएं शामिल हैं। तथापि, राज्यों को और दवाएं जोड़ने की छूट है।

*****